कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला– जशपुर (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 1610 / वि.स.नि. /2023 जशपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1106 जशपुर दिनांक 01.11.2023 के तहत् श्री सेले खाखा, प्रधान पाठक, प्रा.शा.धौरापाठ, विकासखण्ड–मनोरा, जिला–जशपुर (छ.ग.) को मतदान अधिकारी–01 नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 पत्थलगांव के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सेले खाखा, प्रधान पाठक, मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 को कर्तव्य में अनुपस्थित थे, जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ है।

इस कार्यालय के पत्र क्र.1540/निर्वाचन/2023 जशपुर दिनांक 21.011.2023 के द्वारा श्री शंकर राम चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब आपके द्वारा दिनांक 22.11.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब का परिशीलन किया गया, जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया।

श्री सेले खाखा, प्रधान पाठक के उक्त कृत्य से ऐसा परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा अपने पदीय कर्तब्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनधिकृत अनुपस्थित रहे। उक्त कृत्य उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, एवं नियम 7 के विपरीत है।

अतएव श्री सेले खाखा, प्रधान पाठक, प्रा.शा.धौरापाठ, विकासखण्ड–मनोरा, जिला–जशपुर (छ.ग.) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनोरा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ 1610A /वि.स.नि./ 2023 जशपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2023

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं रिटर्निंग ऑफिसर 14–पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी–मनोरा जिला जशपुर (छ.ग.)। आप संबंधित के विरूद्व आरोप पत्र, आरोप विवरण एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
7. श्री सेले खाखा, प्रधान पाठक, प्रा.शा.धौरापाठ, विकासखण्ड–मनोरा, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–जशपुर (छ.ग.)

Desktop/Hari/2023